विभागीय वेबसाइट पर पालनहार योजना में आवेदन
हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची

<u>पालनहार आवेदन हेतु दस्तावेजः–</u>

1. जनाधार कार्ड

2. राजस्थान राज्य के निवासी होने अथवा राज्य में कम से कम तीन साल से रहने का प्रमाण हेतु आवेदक के मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आवश्यक है। यदि पालनहार;

3. बी.पी.एल./आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है, अथवा

4. पेंशनर्स (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विशेष योग्जन, सिलिकोसिस पेंशन) धारक है, अथवा

5. पीडीएस लाभार्थी है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

6. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होने का प्रमाण। यदि पालनहार;

7. बी.पी.एल./आस्था/अन्तयोदय कार्ड धारक है, अथवा

8.पेंशनर्स (विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता/विशेष योग्जन, सिलिकोसिस प्रमाण पत्र धारक) धारक है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

<u>बच्चे के आवेदन दस्तावेजः–</u>

1. आधार कार्ड

2. बच्चे को पालनहार के जन–आधार में जुडना आवश्यक है।

3. बच्चे का शाला दर्पण पोर्टल से सत्यापन (वेरीफाई) होने की स्थिति में अध्ययनरत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. बच्चे का आंगनबाडी केन्द्र पर पंजीकृत होने/विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र

<u>श्रेणीवार दस्तावेजः–</u>

1. अनाथ बच्चे के संदर्भ में बच्चे के माता–पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2. न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता–पिता के बच्चे के संदर्भ में न्यायालय द्वारा जारी दण्डादेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

3. विधवा महिला के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्रस्तुत करना होगा।

4. पुनर्विवाहित विधवा माता के संदर्भ में पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. एच.आई.वी. / एड्स पीड़ित माता / पिता के संदर्भ में राजस्थान एड्स कंट्रोल सोसायटी में कराए गए पंजीयन का प्रमाण पत्र / ग्रीन डायरी प्रस्तुत करनी होगी।

6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता / पिता के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

7. नाता जाने वाली माता के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत एवं पटवारी की संयुक्त रिपोर्ट एवं नगरीय क्षेत्र में वार्ड मेम्बर / पार्षद, पटवारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / स्थानीय निकाय की संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. विशेष योग्यजन माता / पिता के संदर्भ में चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्तता का निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) प्रस्तुत करना होगा।

10. सिलिकोसिस पीडित माता / पिता के संदर्भ में सक्षम चिकित्सा अधिकारी / बोर्ड (राज्य सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।